

सूखा एवं बाढ़ एक परिचय तथा बाँध और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

डॉ. शोभा अग्रवाल 'चिलबिल'
दिल्ली

सूखा एक परिचय

सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब भूतल पर जल की कमी हो जाए। अध्ययन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार सूखा किसी ऐसे क्षेत्र में होने वाली स्थिति होती है:

- ❖ जहाँ जाँच किए गए वर्षों के 20% वर्षों में वार्षिक वर्षा सामान्य से 75% से कम होती है।
- ❖ खेती का 30% से कम क्षेत्र सिंचित होता है।

सूखे के कारण

सूखे के कई कारण हो सकते हैं:

- ❖ लंबे समय तक कम वर्षा हो, या
- ❖ अत्यधिक वाष्पीकरण, या
- ❖ भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल की कमी हो जाए।
- ❖ रेगिस्तानी क्षेत्र आदि।

भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र: भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% भाग हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। जिस समय देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय देश के दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं।

(क) अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र: राजस्थान के अधिकतर भाग जिसमें अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थल, जैसलमेर और बाड़मेर जिले शामिल हैं। गुजरात का कुछ क्षेत्र भी अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में सामान्यतः 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है।

(ख) अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र: राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग तथा उड़ीसा का आंतरिक भाग भी शामिल हैं।

(ग) मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र: राजस्थान का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के दक्षिणी जिले, कोंकण को छोड़कर शेष महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात के शेष जिले, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक का आंतरिक भाग आता है।

शेष भारत यदा-कदा ही सूखा प्रभावित होता है या सूखा प्रभावित नहीं होता है।

सूखे का दुष्परिणाम: सूखे की तीव्रता के अनुसार दुष्प्रभाव भी तीव्र या कम होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जल की कमी के कारण फसलें पूरी तरह से उत्पादित नहीं हो पाती हैं, फलस्वरूप चारे या अन्न की कमी हो जाती है। फलतः मानव व पशुओं की मृत्यु या अत्यधिक अकाल की स्थिति में दूसरे प्रदेशों में प्रवास या पलायन की स्थिति पैदा हो जाती है।

जल की कमी के कारण एक ओर अकाल की स्थिति, दूसरी ओर पेयजल की अनुपलब्धता के कारण दूषित जल पीने के कारण अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

सिंचाई परियोजनाएँ

वृहत् परियोजना: जिन परियोजनाओं का कृषि-योग्य कमाण्ड क्षेत्र (CCA), दस हजार हेक्टेयर से अधिक होता है, उन्हें वृहत् परियोजना कहा जाता है।

मध्यम परियोजना: जिन परियोजनाओं का कृषि-योग्य कमाण्ड क्षेत्र (CCA), दो हजार हेक्टेयर से दस हजार हेक्टेयर के

मध्य होता है, उन्हें मध्यम परियोजना कहा जाता है।

लघु परियोजना : जिन परियोजनाओं का कृषि-योग्य कमाण्ड क्षेत्र (CCA) दो हजार हेक्टेयर से कम होता है उन्हें लघु परियोजना कहते हैं।

सूखे से निपटने के सरकारी कार्यक्रम: सूखे से निपटने के सरकारी प्रयास वैसे तो होते ही रहे हैं किन्तु व्यवस्थित सरकारी कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुए। इनमें प्रमुख हैं:

इंदिरा गाँधी नहर: यह परियोजना 31 मार्च, 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब के हरिके बाँध से निकलकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाती है, इसकी कुल लंबाई 9,060 कि.मी. है। नहर से संबंधित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के साथ-ही-साथ कृषि को बहुत लाभ पहुँचा है। फसलें लहलहाने लगी हैं। पशुओं के चारे की समस्या का भी समाधान हुआ है। इंदिरा गाँधी नहर से जहाँ एक ओर पर्याप्त जल की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं संबंधित क्षेत्रों में परम्परागत जल संरक्षण के उपायों का हवास हुआ है। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। यदि भूजल संरक्षण भी पूर्ववत् होता रहे तो सतत पोषणीय विकास होगा अर्थात् आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल की कमी नहीं होगी।

मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम: 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से आरंभ किया गया था।

स्वजल धरा कार्यक्रम: केन्द्र सरकार द्वारा स्वजल धरा नामक एक योजना आरंभ की गई जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमांत कृषकों को सिंचाई के विकास हेतु नाममात्र के किराए पर पम्पसेट प्रदान करना है।

ग्रामीण कार्य कार्यक्रम (RWP): वर्ष 1970-71 के दौरान ग्रामीण कार्य कार्यक्रम (Rural works Programme) शुरु किया गया। इसका उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। इसके साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने पर बल दिया गया।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम या सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme DPAP): वर्ष 1973-74 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme, DPAP) का नया नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के वित्तपोषण का भार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना तय किया।

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) में सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण संरचनाएँ जैसे: विद्युत, सड़कें, बाजार सम्बन्धी सुविधाओं, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण आदि पर बल दिया गया। ये क्रिया-कलाप एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। इनका एकीकृत कार्यान्वयन सूखे से प्रभावी रूप से निपटने में सहायक होगा।

सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजनाएँ

आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्रचना परियोजना: यह परियोजना दिनांक 30.01.1999 के समझौते के अन्तर्गत 170 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की गई।

- **कर्नाटक समुदाय आधारित जलकुंड प्रबंधन परियोजना:** दिनांक 4 जून, 2002 के समझौते के अन्तर्गत यह परियोजना 18.90 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य धनराशि से विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में कार्यान्वित की गई।
- **राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना:** यह परियोजना 15 मार्च, 2002 के समझौते के अधीन 140 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य धनराशि से विश्व बैंक की ऋण सहायता से राजस्थान में कार्यान्वित की गई।
- **उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना:** यह परियोजना दिनांक 8 मार्च, 2002 के समझौते के अन्तर्गत 149.20 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य धनराशि से विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की गई।

इसी प्रकार सूखे से निपटने, सिंचाई आदि के कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जल की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, जल प्रबंधन और उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करना है।

बाढ़ एक परिचय

नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आस-पास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है।

बाढ़ आने के कारण

1. तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरें;
2. लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश;
3. हिमगलन;
4. मिट्टी का अधिक कटाव;
5. जमीन की अंतःस्यंदन (Infiltration) दर में कमी आना;
6. नदी जलवाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। फलस्वरूप जल मैदान के निचले क्षेत्रों में भर जाता है।
7. वनों की कटाई अर्थात् वन क्षेत्रों की कमी।

विश्व में बाढ़ सम्भाव्य क्षेत्र: बाढ़ काफी तबाही लाती है। प्रमुख रूप से दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक हैं।

भारत में बाढ़ प्रभावित व बाढ़ सम्भाव्य क्षेत्र: बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। वापस लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में बाढ़ नवम्बर से जनवरी माह के मध्य आती है।

उत्तर भारत की नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती हैं। मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव क्रिया-कलापों द्वारा प्राकृतिक संरचना के अवरुद्ध होने के कारण राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब पिछले कुछ दशकों से आकस्मिक बाढ़ से जलमग्न होते रहे हैं।

12वीं योजना में शामिल योजनाएं और उनकी स्थिति (राज्यवार): बाढ़ आने के दुष्प्रभाव

1. बाढ़ आने से मानव बस्तियों के जलमग्न होने से काफी लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं।
2. मानव बस्तियों के जलमग्न होने तथा कृषि-योग्य भूमि जलमग्न होने से जनहानि के साथ ही बहुत अधिक अव्यवस्था फैल जाती है। विस्थापित लोगों के पुनर्स्थापन की समस्या आती है। साथ ही भारी मात्रा में पशु मर जाते हैं व बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है।
3. बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में कई दूषित जल जनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। जैसे: हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस, टायफायड, पीलिया आदि।
4. बाढ़ से प्रशासनिक आधारभूत ढाँचा ही अव्यवस्थित हो जाता है, जैसे: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुल, सड़क, रेल की पटरियाँ, कारखाने, सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालय, विद्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को भी नुकसान पहुँचता है।

बाढ़ आने के लाभ: बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं जैसे: बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर एकत्र करती है, जो फसलों की उपज को बढ़ा देती है। जैसे: ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली द्वीप (असम) हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है परन्तु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन ये लाभ धन-जन व आर्थिक-हानि के सामने गौण हैं।

बाढ़ नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदम

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड: भारत सरकार ने 1954 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड के कार्य हैं:

1. बाढ़ से होने वाली जान-माल की हानि का लेखा-जोखा तैयार करना।
2. बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तथा गंगा कमीशन का गठन।
3. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तथा बंगाल बाढ़ नियंत्रण कमीशन की भी स्थापना की।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग: वर्ष 1976 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की। बाढ़ आयोग का मुख्य कार्य बाढ़ विभीषिका से होने वाली जन-धन तथा कृषि की हानि को रोकने हेतु स्थायी एवं अस्थायी उपायों की खोज करना है।

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	वर्ष 2020-21 में प्रगति रहित योजनाओं की संख्या
1.	बिहार	4	1	2
2.	पश्चिम बंगाल	1	—	1
3.	उत्तर प्रदेश	2	—	2
4.	उत्तराखण्ड	10	5	4
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0
	कुल	18	7	9

अन्य कार्य

- नदी तटबंध का निर्माण।
- नगरीय बस्तियों की सुरक्षा के लिए नदी धाराओं का निर्माण करना।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गाँवों को ऊँचाई पर बसाकर बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षित करना।
- फसलों को सुरक्षित करना।
- अन्य प्रभावकारी उपाय।

बाँध और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

बाँध बहते जल को रोकने, जल को मार्गाभिगमित करने या बहाव कम करने के लिए निर्मित एक संरचना है। बाँध के फलस्वरूप बनी जल की विशाल झील को जलाशय कहते हैं।

आजकल बाँधों से सिंचाई के अतिरिक्त और भी कई कार्य लिए जाते हैं। जैसे:

- जल विद्युत उत्पादन;
- बाढ़ की विभीषिका को रोकने का प्रयास;
- मछली पालन;
- आन्तरिक नौकाचालन या नौ-संचालन;
- औद्योगिक उपयोग;
- पिकनिक स्पॉट के रूप में उपयोग आदि।

बाँध और बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

बाढ़ के प्रकोप को सीमित करने के लिए तथा नदी-जल को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए आजाद भारत में कई बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ निर्मित की गयीं। परंपरागत बाँधों का मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण होता था, किन्तु अब बाँध बहुउद्देश्यीय होते हैं। जल-संग्रहण, बाढ़-नियंत्रण, विद्युत-उत्पादन, मछली-पालन, औद्योगिक उपयोग, आंतरिक नौचालन, मनोरंजन आदि बाँधों के प्रमुख उपयोग हैं। इसलिए अब बाँधों को बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ: भाखड़ा नांगल परियोजना, जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं से भी जल संरक्षण, बाढ़-नियंत्रण तथा जल-विद्युत उत्पादन का उपयोग होता है। इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:

1. भाखड़ा नांगल परियोजना: यह सतलुज नदी पर बनी विशाल परियोजना है, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व चंडीगढ़ में सिंचाई और पनबिजली की सुविधा प्रदान करती है। भाखड़ा और नांगल सतलुज नदी पर हिमाचल

प्रदेश तथा पंजाब की परस्पर सीमा के निकट है। भाखड़ा बाँध के पीछे एक विशाल झील बनाई गई है जिसे "गोविन्दसागर जलाशय" कहते हैं। यह बाँध 518 मीटर लम्बा और 226 मीटर ऊँचा है। यह कुतुबमीनार से भी तीन गुना बड़ा है।

2. चम्बल परियोजना : चम्बल नदी पर गाँधी सागर बाँध, कोटा बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध तथा जवाहर सागर बाँध और पावर हाउस बनाए गए हैं। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोगों को लाभ पहुँचता है।

3. दामोदर घाटी परियोजना: दामोदर घाटी परियोजना द्वारा बंगाल और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया गया। साथ ही इसके द्वारा सिंचाई का काम भी हो रहा है व बहुत-सी बिजली उत्पन्न की जा रही है।

4. हीराकुंड परियोजना: यह संसार में सबसे लम्बा बाँध है। इसकी लंबाई 4,801 मीटर है। यह बाँध उड़ीसा में सम्बलपुर के निकट महानदी पर बना है। इस बाँध के द्वारा कई बाढ़ों को रोका गया है। इस योजना से काफी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जाती है और सिंचाई सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

5. कोसी बाँध: यह बाँध कोसी नदी पर निर्मित है। इससे बिहार में कोसी नदी की विनाशकारी बाढ़ को रोककर बिजली उत्पादन की जा रही है जिससे बिहार के साथ-ही-साथ नेपाल देश को भी लाभ हो रहा है।

6. तुंगभद्रा परियोजना: यह बाँध तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है, इससे सिंचाई के साथ-ही-साथ बिजली भी उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य लाभान्वित होते हैं।

7. काकरपारा परियोजना: गुजरात में तापी नदी पर यह योजना निर्मित की गयी है।

8. नागार्जुन सागर परियोजना: आंध्र प्रदेश के नन्दीकोण्डा गाँव के पास कृष्णा नदी पर यह बाँध बना है।

9. रिहन्द परियोजना: यह परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहन्द नदी पर निर्मित है।

10. टिहरी बाँध: यह बाँध गंगा नदी पर स्थित है। इस बाँध से यद्यपि बिजली उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है, किन्तु इस बाँध के बनने के कारण एक बड़ी संख्या में जनमानस को विस्थापित होना पड़ा। जिसके कारण यह परियोजना काफी विवादित रही है।

11. सरदार सरोवर परियोजना: सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है। बिजली उत्पादन व सिंचाई के उद्देश्यों को लेकर बनाई गई यह परियोजना जंगलों के जलमग्न होने तथा विस्थापितों के कारण आंदोलन का कारण बनी हुई है।

12. इंदिरा गाँधी नहर आदि

इसी प्रकार अन्य छोटी बड़ी बहुत सी बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएँ हैं। पश्चिम चंपारण में निम्न जल विद्युत परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं:

- (क) धेबहा जल विद्युत परियोजना।
- (ख) कटनया जल विद्युत परियोजना।
- (ग) बरवत जल विद्युत परियोजना आदि।

बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के उद्देश्य: बाँधों को बनाने का मूल उद्देश्य नदी अथवा वर्षा के जल को एकत्र करके उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग करना था।

अन्य उद्देश्य

1. बाढ़ की विभीषिका को रोकने का प्रयास;
2. सिंचाई के लिए अधिकाधिक नहरें बनाना;
3. मछली पालन;
4. जलविद्युत उत्पादन।

बाँधों या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण तथा अभिकल्पन का निर्णय

बाँधों का निर्माण तथा अभिकल्पन (डिजाइन) कई प्रकार के हो सकते हैं। एक बाँध की कितनी क्षमता होगी, कितने बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी, कितना खर्च होगा और बहुउद्देशीय किन परियोजनाओं की परिपूर्ति हो सकेगी। इसका पता लगाने के लिए अभियंताओं (इंजीनियरों) द्वारा माडलों तथा कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बाँध के आकार, निर्माता, सामग्री तथा अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्णय लिया जाता है।

बाँधों के प्रकार

गुरुत्व बाँध (Gravity Dams): गुरुत्व बाँध बहुत वजनदार तथा कंक्रीट के बने हुए होते हैं। इन बाँधों का निर्माण महँगा होता है क्योंकि इनके लिए काफी कंक्रीट की आवश्यकता पड़ती है। गुरुत्व बाँधों को केवल ताकतवर चट्टानी नींव पर ही बनाया जा सकता है क्योंकि ये वजनदार होते हैं। इनके वजनदार होने से इन पर जल के बहाव का असर नहीं पड़ता है, उदाहरणार्थ: भाखड़ा नांगल बाँध।

चाप बाँध (Arch Dams) : चाप बाँध का निर्माण मुड़ी चाप की भाँति किया जाता है। चाप बाँध संकरे तथा चट्टानी स्थानों के लिए उत्तम हैं। भारत में केवल इडुक्की (Idukki) बाँध ही एक मात्र चाप बाँध है।

तटबंध बाँध (Embankment dams): मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बाँध होते हैं, इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की पर्त का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बाँध आकार में काफी मोटे होते हैं। उदाहरणार्थ—टिहरी बाँध।

बड़ी बाँध परियोजनाओं से उठे विवाद:

पिछले कुछ वर्षों से बाँध की बहु-उद्देशीय परियोजनाएँ विवाद का विषय बन गई हैं। विवाद के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

स्थानीय जनता का विरोध: बड़े बाँध सामाजिक आंदोलनों जैसे—'नर्मदा बचाओ आंदोलन' और 'टिहरी बाँध आंदोलन' के कारण भी विवादित हो गए हैं। उसका मुख्य कारण है: स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। इन लोगों को अपनी जमीन व आजीविका के संसाधनों से लगाव होता है। अतः यह लोग मुआवजा मिलने के बाद भी वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं।

स्थानीय लोग जिस स्थान पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे होते हैं। स्थान बदलने पर आवश्यक नहीं है कि आजीविका का वही स्रोत उन्हें मिल पावे। अतः कई बार मुआवजा मिल जाने पर भी उसकी भरपाई नहीं हो पाती है।

बाँध भी बाढ़ का कारण बन जाते हैं: जो बाँध बाढ़-नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं वही कभी-कभी जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदियों पर बाँध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट जलाशय की तली में जमा हो जाता है जिससे नदी तल अधिक चट्टानी हो जाता है।

बाँध की बहुउद्देशीय परियोजना से भूकम्प की सम्भावना में वृद्धि : कुछ पर्यावरणविद् मानते हैं कि बाँध की बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के कारण भूकम्प की संभावना और भी बढ़ जाती है।

जलीय जीवों के लिए बाँध नुकसानदायक: जलीय जीवों के लिए बाँध नुकसानदायक हो सकते हैं। बाँध नदियों को टुकड़ों में बाँट देते हैं, जिससे अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानान्तरण अवरुद्ध हो जाता है।

प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होने के फलस्वरूप जलाशय की तली में तलछट जमा होने से जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है।

बाँध की बहुउद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणविदों के सुझाव

1. बड़े बाँध न बनाकर छोटे बाँध बनाये जाएँ।
2. भूकम्पीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बाँध न बनाए जाएँ।
3. बहुउद्देशीय परियोजना बनाने से पूर्व उससे होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का भली प्रकार मूल्यांकन कर लिया जाए।